हुकमचन्द बनाम कमलेश देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13/10/202५	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उप० वास्ते जवाब प्रा०पत्र एवं तलबी अप्रार्थी से 03 जर्ये सम्मन से की जाकर पत्रावली दिनांक 14/11/202५ को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
14/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वास्ते जवाब प्रा॰पत्र एवं तलबी अप्रार्थी/प्रतिवादी से 03 जर्ये सम्मन से की जाकर पत्रावली दिनांक 19/11/202५ को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
	19/11/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। जवाब प्रा. पत्र आदेश 7 नियम 11 का पेश नहीं। जवाब बंद किया जाकर बहस प्रा. पत्र सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 25/11/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
	25/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। प्रा. पत्र आदेश 7 नियम 11 का अवलोकन किया गया। प्रा. पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। वादी बाद दावा स्थायी निषेधाज्ञा का इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रकरण बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया है। (हस्ताक्षर) 25/11/25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपजिला कलेक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई जिला दौसा

मु.न. 89/2025
न्यायालय हाजा में दर्ज दिनांक 20.05.2025
प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11
निर्णय दिनांक 24.11.2025

उनवान
हुकमचंद वगै. बनाम कमलेश देवी वगै.

दावा अधिघोषणा स्थायी निषेधाज्ञा
(प्रार्थना आदेश 07 नियम 11)
--निर्णय--

दिनांक 24.11.2025

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की और से प्रार्थना आदेश 07 नियम 11 सी.पीसी का पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः- भूमी खसरा नं. 617 रकबा 0.01 है0 एवं खसरा नं. 891/619 रकबा 0.51 है0 कुल किता -2 कुल रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम नांगवास तहसील बांदीकुई के बाबत प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया है। भूमी खसरा नं. 891/619 के उत्तर दिशा की तरफ लगती हुई भूमी खसरा नं. 879/616 व खसरा नं. 890/613 प्रतिवादीयागण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमी है। जिसमें वादी द्वारा करीब 40 फिट भूमी पर अतिक्रमण करते हुए पुख्ता बाउन्ड्री निर्माण करके प्रतिवादीयागण की भूमी हडपने के इरादे से उपरोक्त वादपत्र गलत एवं झूठे तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा भूमी खसरा नं. 617 व 891/619 को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमी दर्शित करते हुए उक्त वादपत्र प्रस्तुत किया है। जबकि उपरोक्त वर्णित खसरा नं. 617 एवं 891/619 की खातेदारी नगर पालिका बांदीकुई हिस्सा पूर्ण संस्था के नाम आवासीय प्रयोगनार्थ जमाबंदी सं. 2073-2076 में दर्ज है। परन्तु वादी ने तथ्य छिपाते हुए प्रतिवादीयागण को हैरान व परेशान करने हेतु उपरोक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया है। जो कि कानूनन चलने योग्य है। जमाबंदी सं. 2073-2076 संलग्न प्रार्थना पत्र है। वादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त वादपत्र विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। भूमी के बाबत वादी को वादपत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं होने से वाद पत्र विधि द्वारा वर्णित है। इसलिए वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है। उक्त प्रार्थना पत्र का जबाब वादी की ओर से पेश नहीं किया गया है। वादीगण का जबाब बन्द कर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ पेश ग्राम नांगवास की जमाबंदी खाता सं.
नया 167 पुराना 66 वादग्रस्त भूमी खसरा नं. 617, 891/619 किस्म आवासीय प्रयोजन नगरपालिका बांदीकुई के नाम दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि वादी को स्थायी निषेधाज्ञा का

२५६

वाद लाने का अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है वादी द्वारा पेश दावा स्थायी निषेधाज्ञा का इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 24.11.2025 को खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया।

24/11/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner